राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2023

डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवती/युवक के द्वारा विवाह किये जाने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार **डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2023** के संचालन हेतु नवीन दिशा–निर्देश लागू करती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार** ::

1) यह योजना ''**डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना–2023**'' कहलायेगी।

2) योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगी अर्थात दिनांक 01.04.2023 अथवा इसके पश्चात् विवाह करने वाले युगलों पर लागू होगी।

2. **परिभाषाएं** :: इन दिशा निर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :–

1) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

2) ''विभाग'' से राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अभिप्रेत है।

3) ''आयुक्त/निदेशक'' से विभाग का आयुक्त/निदेशक अभिप्रेत है।

4) ''प्रभारी अधिकारी'' से विभाग में योजना का क्रियान्वयन अधिकारी अभिप्रेत है।

5) ''जिलाधिकारी'' से जिले में विभाग द्वारा नियुक्त/पदस्थापित अधिकारी अभिप्रेत है (बिना किसी रेंक या वेतनमान के विभेद के)।

6) ''युवक/युवती'' से विवाह हेतु विधि द्वारा निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक/युवती अभिप्रेत हैं।

7) ''अनुसूचित जाति'' से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए यथा राजपत्र में अधिसूचित अनुसूचित जाति अभिप्रेत है।

8) युगल से विधिक रूप से मान्य विवाह के अन्तर्गत दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले युवक–युवती (पति–पत्नि) अभिप्रेत है।

3. **उद्देश्य** ::

1) जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवती/युवक के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन।

2) उक्त उद्देश्य हेतु डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना–2023 के तहत अन्तर्जातीय विवाह के साहसिक कदम की सराहना करते हुए प्रोत्साहन

Signature valid
Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

स्वरूप नवयुगल को समाज में उनके विवाह को स्थापित करने एवं घर/गृहस्थी को आरम्भिक तौर पर संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

4. पात्रता एवं शर्तें ::

1) अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवती अथवा युवक से विवाह किया हो।
2) युवक एवं युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हो।
3) आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण–पत्र प्रमाण–पत्र पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4) आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में मूल–निवास प्रमाण–पत्र पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
5) युगल में से किसी की भी आयु विवाह दिनांक को 35 वर्ष से अधिक नही हो।
6) आपराधिक मामलों के संबंध में युगल (वर–वधू) द्वारा दोषसिद्ध नहीं हुआ है का स्वघ ोषणा–पत्र में अंकित तथ्य ही मान्य है। व्यक्तिशः दोषसिद्धि की लिखित में जानकारी/विशेष परिस्थिति में जांच की जा सकती है।
7) युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
8) ऐसे युगल द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
9) विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा। किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी तथा ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
10) युवक/युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा।
    अपवादः– विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगी बशर्ते युगल में से किसी ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

5. आवश्यक दस्तावेज ::

1) युगल का आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड।
2) अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
3) सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
4) युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
5) युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका (इससे कम शैक्षणिक योग्यता होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति)
6) युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
7) युगल के पैन नंबर (आधार लिंक्ड) व पैन कार्ड की प्रतियां।

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

8) युवक व युवती के आयकर रिटर्न की प्रति (यदि आयकर रिटर्न भरा जाता है) एवं आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र) (परिशिष्ट 'अ')
9) युवक व युवती का गंभीर अपराध प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने का शपथ–पत्र। (परिशिष्ट 'ब')
10) युगल के विवाह की संयुक्त फोटो।
11) विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
12) युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वंय के हिन्दू सवर्ण जाति का होने का शपथ पत्र।
13) बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9 से संबंधित शपथ पत्र परिशिष्ट 'ब' नोटेरी द्वारा प्रमाणित कर अपलोड करना होगा, यदि वह अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से है, तो जाति प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

6. <u>आवेदन की प्रक्रिया ::</u>

1) योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये, दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र अनुसूचित जाति के युवक या युवती के द्वारा ई–मित्र कियोस्क/स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदक (अनुसूचित जाति पक्ष) द्वारा विभागीय SJMS SMS पोर्टल पर Intercaste marriage icon के द्वारा जन आधार संख्या दर्ज कर ऑन लाईन आवेदन करना होगा।
2) आवेदक द्वारा अपनी जनाधार संख्या से सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना होगा।
3) जनाधार में दर्ज आधार नंबर के साथ अपनी पहचान को बायोमैट्रिक तकनीक के माध्यम से सत्यापित करना होगा।
4) उपरोक्त प्रक्रिया में आवेदक की पहचान सत्यापित होने के पश्चात् आवेदक का सामान्य विवरण जैसे आवेदक का नाम, फोटो, लिंग, वैवाहित स्थिति, जन्म दिनांक, मोबाईल नं, पता आदि जनाधार से स्वतः भरा हुआ (Auto Fill) प्रदर्शित होगा।
5) उपरोक्त योजना से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना दर्ज करने के पश्चात् आवेदक की प्रोफाइल बनेगी।
6) आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जनाधार डेटाबेस से ए.पी.आई. के माध्यम से स्वतः ही फेच किए जाऐंगे।
7) आवेदक द्वारा 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नं. व उत्तीर्ण होने का वर्ष इन्द्राज करने पर डाटा डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित होगा। (डिजीलॉकर में डाटा होने पर)
8) युगल को पेन कार्ड नं. अंकित करना होगा एवं पेन कार्ड स्केन कर अपलोड भी करना होगा।
9) उक्त के साथ ही आवेदक द्वारा मूल दस्तावेजों को स्पष्ट व पठनीय रुप से स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
10) आय प्रमाणपत्र (स्वघोषणा पत्र) के साथ पति अथवा पत्नी अथवा दोनों आयकर रिटर्न भरते हैं तो अपनी पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न भी अपलोड़ करना होगा।
11) युगल द्वारा शपथ पत्र को निर्धारित प्रारूप में नोटेरी से प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। साथ ही विभागीय पोर्टल पर दिए गए शपथ को ई–साईन द्वारा प्रमाणित करना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

7. आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया ::

1) आवेदक के मूल निवास स्थान व गृह जिले के वेरिफायर व जिलाधिकारी के लॉग–इन पर ऑनलाईन आवेदन प्रदर्शित किया जाएगा।
2) आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त आवश्यक दस्तावेजों (जाति/मूल निवास/10 वीं की अंकतालिका (मेटा डाटा उपलब्ध होने की स्थिति में)/विवाह पंजीयन) को जनाधार अथवा संबंधित विभाग से मेटा डेटा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा एवं प्रमाणित पाए गए मेटा डाटा को स्वीकृतकर्ता अधिकारी/स्टेट एडमिन को भी आवेदन में प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक द्वारा अपलोड कराये उक्त दस्तावेजों को वेरिफायर/जिलाधिकारी/स्टेट एडमिन को भी आवेदन में प्रदर्शित किया जाएगा।
3) वेरिफायर द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेजों के अभाव/कमी पाए जाने पर आक्षेप की पूर्ति हेतु आवेदन को ऑनलाईन लौटाया जाएगा। (Back to Citizen) इस आशय का सिस्टम जनरेटेड एस.एम.एस. भी आवेदक को जाएगा। आवेदनकर्ता को एक माह का समय आक्षेपों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। एक माह की अवधि में आवेदनकर्ता द्वारा आक्षेपों की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदक को, विवाह की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर पुनः नए सिरे से उक्त प्रक्रियान्तर्गत नवीन आवेदन की छूट होगी।
4) आवेदन प्रथम दृष्टि में गलत/अपात्र होने पर कारण सहित निरस्त किया जाएगा।
5) आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित पूर्ण पाए जाने पर वेरिफायर द्वारा आवेदन जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
6) जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में युगल व उनके मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। (Physical and Document Verification)
7) गृहस्थ जीवन यापन करने वाले युगल के निवास स्थान पर जाकर आवेदन में अंकित तथ्य/दस्तावेजों की विशेषतः जाति, मूल निवास, आय एवं वैवाहिक स्थिति की जांच की जाएगी व रिपोर्ट ऑनलाईन प्रेषित की जाएगी।
8) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए जिलाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर नियमानुसार निस्तारण करेगा।
9) ई–मित्र द्वारा आवेदन में मूल दस्तावेजों से भिन्न/गलत तथ्य अंकित कर आवेदन अपलोड़ करने की स्थिति में ई–मित्र के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. प्रोत्साहन राशि :

जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवती/युवक के द्वारा विवाहयोजनान्तर्गत युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति–पत्नि के लिए 10.00 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार देय होगीः–

(i). युगल के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम की संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में **08** वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट राशि रूपये 5.00 लाख। (समय से पूर्व किसी भी स्थिति में अदेय)

(ii). युगल के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से नगद प्रोत्साहन 5.00 लाख रुपये।

Signature valid
Digitally signed by Sanjit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

(iii). आवेदक युगल में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु होने पर एफ.डी. की राशि उत्तराधिकारी को देय होगी।

9. <u>अनुवर्तन / संचालन / समीक्षा ::</u>

1) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार व जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रभारी अधिकारी होंगे।
2) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3) योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 1.25 लाख : 8.75 लाख प्रतियुगल अनुपात में भागीदारी होगी।
4) जारी की जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposit) एवं 8 वर्ष पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर युगल को दी जाने वाली सावधि जमा (Fixed Deposit) पर दिनांक अंकित कर वेबपोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
5) जिला अधिकारी द्वारा युगलो को दी जाने वाली सावधि जमा (Fixed Deposit) की छायाप्रति कार्यालय में रखते हुए एक पंजिका संधारित करवायेगा, जिससे सावधि जमा (Fixed Deposit) परिपक्वता पर मिलान किया जा सके।
6) नगद भुगतान हेतु एसएनए एवं पे–मैनेजर द्वारा दी जाने वाली नगद सहायता का बिल का टी.वी नं. दिनांक एवं राशि वेबपोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
7) योजना के अन्तर्गत जिला अधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त / निदेशक अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
8) विभाग द्वारा बजट आवंटन निर्धारित बजट शीर्ष अन्तर्गत किया जाएगा।

10.<u>विशिष्ट ::</u>

1) शपथ पत्र में युवक / युवती द्वारा मिथ्या कथन करने / कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाने / असत्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाकर राशि वसूल की जा सकेगी।
2) इन नियमों की व्याख्या व असाधारण परिस्थियों में प्रकरणों में दिशा–निर्देशों में शिथिलता के लिए आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे। किसी भी संशय की स्थिति में आयुक्त / निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
3) राज्य सरकार द्वारा 'डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2023 के संचालन अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों में आवश्यकता प्रतीत होने पर समय–समय पर आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4374872

क्रमांक F.11(37)AP/I C M/SJED/2023-24/ जयपुर, दिनांकः 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. संयुक्त सचिव (SCD-B), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिव, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—।।) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास .... ।
10. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने एवं नवीन दिशा—निर्देशानुसार योजना के वेबपोर्टल में आवश्यक संशोधन करने बाबत्।
11. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को योजना के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किये जाने बाबत्।
12. जिला कोषाधिकारी,...
13. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
14. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
15. लेखाकार, ऑडिट / अंकमिलान / बजट, मुख्यावास।
16. गार्ड फाईल।

शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4374872

आय का घोषणा पत्र

(युगल द्वारा भरा जायेगा)

डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए

1. पति का नाम... आयु............... पिता का नाम श्री	2. पत्नि का नाम... आयु............... पिता का नाम श्री

3. युगल का पूर्ण पता (निवास स्थान):–

....

4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः–

5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः–

6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह/जनाधार नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः

7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः– (सम्बधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)(पति व पत्नि दोनों के लिए)

पतिः–		पत्निः	
(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय रू.	.............रू.	(1) कृषि भूमि(..) आदि से आय रू.	.... रू.
(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू.	.............रू.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू.	.... रू.
(3) वेतन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रू..	.............रू.	(3) वेतन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रू..	.... रू.
(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, लाभांश कारोबार, व्यवसाय या ब्याज से आय रू.	.............रू.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, लाभांश कारोबार, व्यवसाय या ब्याज से आय रू.	.... रू.
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.	..............रू.	(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.	.... रू.
कुल वार्षिक आय रू.(अंको मे)	..............रू.	कुल वार्षिक आय रू.(अंको मे)	.... रू.

8. पति एवं पत्नि (युगल) की संयुक्त वार्षिक आय (अंकों में):–...

9. पति एवं पत्नि (युगल) की संयुक्त वार्षिक आय (शब्दों में):–...

हम शपथपूर्वक उद्घोषणा करते हैं कि मेरी एवं मेरे/मेरी पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.........................अक्षरे रू. .... है। उक्त शपथ–पत्र हमारी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्व उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

पति के हस्ताक्षर मय दिनांक.. पति का नाम	पत्नि के हस्ताक्षर मय दिनांक .... पत्नि का नाम ....

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट 'ब'

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)

मैं (वर) .... पुत्र ....निवासी ....

आयु.......................जाति (नाम) ....

वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति /अन्य पिछडा वर्ग)................. धर्म .... थाना..............जिला ....

और

मैं (वधु).. पुत्री...हाल निवासी .... आयु ....

जाति (नाम) ....वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग)................. धर्म ....

थाना.............. जिला ....

शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं–

01. यह है कि हम दोनो (युगल) राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।
02. यह कि विवाह दिनांक .... को हमारी (पति एवं पत्नी दोनों) की कुल संयुक्त वार्षिक आय रूपये (अंको में) ....
अक्षरे रूपये..है।
03. यह कि हम दोनों विवाह की दिनांक .... से एक साथ विवाह बंधन में रह रहे हैं।
04. यह कि हम में से (दूसरा पक्ष) श्री/श्रीमती.................................. हिन्दू सवर्ण जाति से सम्बन्ध रखता है/रखती है।
05. हम दोनो द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी समान्तर योजनाओं में कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया है।
06. हम आयकर रिर्टन भरते है/नहीं भरते है। आयकर रिर्टन की राशि..................(वर) तथा राशि............ (वधु) है।
07. हम दोनों के द्वारा योजना के नियमों के विपरीत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते है तो प्राप्त राशि पुनः जमा कराने को बाध्य होंगे।
08. यह है कि हम युगल (वर–वधू) के विरूद्ध कोई दोषसिद्ध नही हुआ है ना ही कोई पुलिस थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
09. यह कि विभाग द्वारा आवेदन में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति हमारे द्वारा निर्धारित एक माह की अवधि में नहीं किये जाने के कारण यदि सिस्टम द्वारा आवेदन ऑटोरिजेक्ट हो जाता है, तो हम स्वयं आवेदन के ऑटोरिजेक्ट होने के लिए जिम्मेदार होंगे।
10. यह कि हमारे द्वारा उक्त योजना के आवेदन में कोई भी मिथ्या तथ्य अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाने/असत्य पाए जाने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
(पति)दिनांक

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
(पत्नि)दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved